International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 09-06-2024, Accepted: 01-07-2024, Published: 24-07-2024
Volume 10, Issue 4, 2024, Page No. 33-36

हॉब्स से रॉल्स तक सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास

पूजा सैनी
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

सारांश
सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की आधारशिला,व्यक्तिगत लोगों और सामाजिक संरचनाओं के बीच जटिल संबंधो में एक खिडकी प्रदान करता है। यह सिद्धांत मानता है कि किसी समाज के सदस्य अपने शेष अधिकारों की सुरक्षा के बदले में कुछ स्वतंत्रताओ को प्राधिकारियों को सौंपने के लिए परोक्ष रूप से सहमत होते है।
सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों द्वारा समर्थित यह वैचारिक ढ़ांचा नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है,यह जांच करता है कि सामूहिक समझौते मानव जीवन को कैसे आकार देते है।
सामाजिक समझौता सिद्धांत सामाजिक मानदंडों के विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन को देखने के लिए एक लेंस प्रदान करता है। यह आधुनिक शासन और सामाजिक संरचनाओं के दार्शनिक आधारों को समझने में एक प्रमुख सिद्धांत बना हुआ है।

मूलशब्दः अधिकार, समझौता, संप्रभु, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक संरचनाएं, अराजकता

सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत पुराना काल्पनिक दर्शन है,जो इस तथ्य पर आधारित था कि किसी समाज में रहने के लिए लोगों के नैतिक या राजनीतिक दायित्व आपस में समझौते पर आधारित थे।सामाजिक समझौता सिद्धांत की यह अवधारणा थी कि शुरुआत में समाज के कार्यो को विनियमित करने के लिए कोई सरकार नहीं थी और कोई कानून नहीं था, लोग प्रकृति में रहते थे। समाज के विभिन्न वर्गों पर अत्याचार और कठिनाईयां थी। इस स्थिति से उबरने के लिए वे दो समझौते करते है–

1. पैक्टम यूनियनिस और
2. पैक्टम सब्जेक्शनिस

1. पैक्टम यूनियनिसः लोगों ने अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की।उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां वे एक–दूसरे का सम्मान करते है और शांति और सद्भाव से रहते है।

2. पैक्टम सब्जेक्शनिसः इस दूसरे समझौते के द्वारा लोगों ने एक साथ एकजुट होकर एक प्राधिकारी का पालन करने और अपने अधिकारों को प्राधिकारी को सौंपने का वचन दिया। प्राधिकरण ने जीवन,संपत्ति और आंशिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी।

इस प्रकार, इन दो समझौतों के कारण प्राधिकरण या सरकार या संप्रभु या राज्य अस्तित्व में आया।
सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतिहास सुकरात के योगदान से प्राचीन ग्रीस से मिलता है। सुकरात का मानना था कि एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से एक सामाजिक समझौते में प्रवेश करते है। हालांकि, यह थॉमस हॉब्स ही थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।
हॉब्स ने तर्क दिया कि प्राकृतिक स्थिति में बिना किसी शासकीय प्राधिकार के व्यक्तियों को हिंसक मृत्यु का निरंतर भय रहेगा। इससे बचने के लिए वे स्वेच्छा से एक सामाजिक समझौते में प्रवेश करते है, जहां वे सुरक्षा के बदले में एक संप्रभु शासक को कुछ स्वतंत्रताएं सौंप देते है।
इस विचार को 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा और विकसित किया गया था। लॉक ने व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व पर जोर दिया और माना कि सामाजिक समझौते का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई सरकार ऐसा करने में विफल रहती हैं तो व्यक्तियों को विद्रोह करने और एक नया सामाजिक समझौता स्थापित करने का अधिकार है।
जीन–जैक्स रूसो ने 18वीं शताब्दी में "सामान्य इच्छा" के अपने विचार के साथ इस सिद्धांत में योगदान दिया। उनका मानना था कि किसी समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए,व्यक्तिगत हितों की बजाय सामान्य भलाई को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाने चाहिए।
इमैनुएल कांट ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के नैतिक पहलू पर जोर देते हुए इन सिद्धांतों का निर्माण किया। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतो के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें तर्क के माध्यम से उचित ठहराया जा सकता है।
20वीं सदी में जॉन रॉल्स ने अपने 'न्याय के सिद्धांत' के साथ इस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। रॉल्स ने अपने सिद्धांत को "न्याय को निष्पक्षता के रुप में" वर्णित किया है। चूंकि जिन परिस्थितियों में न्याय के सिद्धांतों की खोज की जाती है वे मूलतः निष्पक्ष है, न्याय निष्पक्षता से आगे बढ़ता है।
कुल मिलाकर, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रस्ताव है कि समाज बनाने के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व व्यक्तियों के बीच एक समझौते पर निर्भर होते हैं। इस सिद्धांत ने आधुनिक राजनीतिक विचार को आकार दिया है और शासन और व्यक्तिगत अधिकारों पर चर्चा में प्रासंगिक बना हुआ है।

सामाजिक समझौता सिद्धांत का अर्थ

सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है। इस समझौते के अनुसार, राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा किया है। समझौते से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। किन्हीं कारणों से व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था त्यागकर समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की रचना की। इस समझौते से व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए।

सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख योगदानकर्ताओं का अवलोकन

सामाजिक समझौता सिद्धांत एक दार्शनिक अवधारणा है, जो समाज की उत्पत्ति और प्रकृति और व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति दायित्वों की पड़ताल करती है। कई प्रमुख योगदानकर्ताओं ने समय के साथ इस सिद्धांत को आकार दिया है, प्रत्येक ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए है।

थॉमस हॉब्स (1588–1679) द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण

सामाजिक समझौता सिद्धांत पर गहराई से विचार करने वाले सबसे शुरुआती विचारकों में से एक थॉमस हॉब्स है। ब्रिटिश नागरिक हॉब्स का जीवनकाल राजनीतिक उथल–पुथल का काल था, जिसका हॉब्स के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इंग्लैंड का गृह युद्ध (1642–1649) देखा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का मृत्यु दंड (1649) देखा और इसी पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर उसने 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'लेवियाथन' में राजाओं की निरंकुशता को उचित ठहराते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अपनी पुस्तक 'लेवियाथन' में इस सिद्धांत का वर्णन किया है–

- **मानव स्वभावः** हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड में गृह युद्ध ने उसके सामने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

- **प्राकृतिक अवस्थाः** इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने का संभावित परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था 'डपहीज पे त्पहीज' की धारणा पर आधारित थी। जिसको मार सकते हो मार दो, जिसका छीन सकते हो छीन लो इसलिए चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी।

- **समझौते का कारणः** जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें।

- **समझौताः** निरंतर संघर्ष से ऊबकर मनुष्यों ने आपस में समझौता करके उस दशा का अंत कर दिया। इस समझौते में दो बातें ध्यान देने योग्य है– (अ) राजा स्वयं समझौते में शामिल नहीं है। (ब) समझौता करने वाले व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों को समझौते के बाद राजा को सौंप दिया।

- **नवीन राज्य का स्वरूपः** हॉब्स ने समझौते के द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जिसका शासन संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसका प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं हैं व प्रजा को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है।

जॉन लॉक (1632–1704) द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण

हॉब्स की तरह लॉक भी एक अंग्रेज दार्शनिक एवं राजशास्त्री था। यद्यपि दोनों के समय में बहुत अधिक अंतर नहीं है, फिर भी उसके विचार हॉब्स के विपरीत थे क्योंकि लॉक के समय की परिस्थितियां हॉब्स की परिस्थितियों से भिन्न थी। हॉब्स ने ब्रिटेन का गृह युद्ध देखा था किंतु लॉक के समय तक ब्रिटेन की संसद राजा की निरंकुशता के विरुद्ध विजयी हो चुकी थी। जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में प्रकाशित पुस्तक "टू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट" में किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति (1688) हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। लॉक ने सन् 1688 की क्रांति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक के समझौता संबंधी विचारों की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है–

- **मानव स्वभावः** हॉब्स मनुष्य में केवल पाश्विक प्रवृतियों का दर्शन करता है किंतु लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और दयालुता के गुण होते है।

- **प्राकृतिक अवस्थाः** हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बतलाया था तथा प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की दशा माना था। परंतु लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परमार्थी, दयालु, सहयोगी व समाजप्रिय माना है तथा उसी के अनुसार उसकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है जिसमें मनुष्य 'पारस्परिक युद्ध' की अवस्था में न रहकर 'पारस्परिक सहयोग' की अवस्था में रहते है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन् उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था– "तुम दूसरो के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरो से अपने प्रति चाहते हो।"

- **समझौते का कारणः** इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई जिन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लॉक के अनुसार ये असुविधाएं निम्नलिखित थी

1. प्रकृति के नियमों की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी ।
2. इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी।
3. इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी।

- **समझौताः** लॉक के अनुसार दो समझौते हुए। पहले के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना हुई। दूसरा समझौता व्यक्ति समूह और राजा के मध्य हुआ जिसके परिणामस्वरूप शासक को कानून बनाने,व्याख्या करने का अधिकार दिया गया लेकिन शासक की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया कि निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होंगे। जनता को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त होगा।

- **नवीन राज्य का स्वरूपः** लॉक के समझौते द्वारा संवैधानिक राज्य की स्थापना हुई। यदि शासक अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है तो समाज को एक प्रकार की सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित करने का अधिकार होगा। इसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार का अस्तित्व तथा रुप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है।

जीन जैक्स रूसो (1712–1767) द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण

जहां हॉब्स और लॉक अपने–अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे उन्होंने क्रमशः निरंकुश राजतंत्र तथा सीमित राजतंत्र के समर्थन में अपने विचारों को व्यक्त किया वहीं रूसो के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हालांकि हॉब्स, लॉक के समान रूसो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया था। यह माना जाता है कि उसके विचारों ने सन् 1789 ई. की फ्रांस की क्रांति के लिए उत्प्रेरक काम किया तथा एक नवीन लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। रूसो ने अपनी पुस्तक 'द सोशल कांट्रैक्ट' में सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की हैं–

- **मानव स्वभावः** रूसो अपनी पुस्तक 'द सोशल कांट्रैक्ट' में कहता है कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।" इस वाक्य से रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराईयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती है।

- **प्राकृतिक अवस्थाः** रूसो की कल्पना के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पशु के समान जीवन व्यतीत करता था।वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो 'आदर्श बर्बर' शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न ही किसी का अहित करने की उसकी इच्छा थी। शांत, सरल और सुखमय जीवन था और आवश्यकताएं कम थी। धीरे–धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई, आवश्यकताएं बढ़ी और संपत्ति का अभ्युदय हुआ और स्वार्थ की भावना तथा मानवगत बुराईयां आने लगी।

- **समझौते का कारणः** संपत्ति के उदय से प्राकृतिक अवस्था का रुप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निर्णय किया।

- **समझौताः** इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणामस्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते है।

- **नवीन राज्य का स्वरूपः** रूसो के समझौते द्वारा एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।

इमैनुएल कांट (1724–1804) द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण

कांट का दृष्टिकोण कुछ महत्वपूर्ण मामलों में हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समान है। कांट ने ऐसे समय में राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया जब व्यक्तिवाद पूर्णता लुप्त नहीं हुआ था जिसका प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों पर स्पष्ट दिखाई देता है। कांट और हॉब्स व लॉक के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि हॉब्स और लॉक समझौते के प्रत्येक पक्ष के लिए व्यक्तिगत लाभ पर अपने तर्क को आधार बनाते हैं। जबकि कांट अपने तर्क को अधिकार पर आधारित करते है, जिसे सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता के रूप में समझा जाता है। सामान्य तौर पर केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जो समझौते के पक्षकार अपनी विशेष स्वतंत्रता में प्राप्त करते है। इस हद तक कांट रुसो के सामान्य इच्छा के विचार से अधिक प्रभावित है।

किंतु वह समझौता सिद्धांत को ऐतिहासिक तथ्य के रुप में स्वीकार न करते हुए उसके दार्शनिक रुप को स्वीकार करता है। कांट के समझौता संबंधी विचारों को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है–

- कांट के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है वह सदैव स्वयं को अधिक से अधिक सुखी बनाना चाहता है,चाहे इससे दूसरों को हानि ही क्यों ना हो। बाहरी रूप से मनुष्य समान है किंतु उनकी प्रवृतियों में बहुत असमानता है। राज्य ही एक मात्र ऐसी संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्नति करने की अवस्था प्रदान करती है। इसके लिए राज्य प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है।
- कांट के द्वारा बताया गया राज्य का समझौता सिद्धांत एक सामाजिक समझौता न होकर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार शासन का स्वरूप और शासन एवं जनता के मध्य संबंध स्थापित होते है। यह समझौता प्राकृतिक अवस्था को संगठित राज्य में परिवर्तित नहीं करता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐसा नैतिक समझौता है जिससे राज्य का निर्माण नहीं होता है अपितु सामाजिक जीवन की एक कम संगठित स्थिति से अधिक संगठित स्थिति में विकसित होना प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में समझौते के पश्चात व्यक्ति एक कानून हीन स्वाधीनता को छोड़कर एक उच्चतर स्वाधीनता को प्राप्त करते है।
- कांट जनता को विद्रोह का अधिकार नहीं देता क्योंकि जनता की कोई एकीकृत इच्छा नहीं होती है बल्कि वह विभिन्न और विरोधी होती है जिसका कोई एक स्वरूप निर्धारित नहीं होता हैं अर्थात् राज्य ही एकमात्र वह सर्वोच्च इच्छा है जिसके समझ जनता को अपना समर्पण करना चाहिए।

जॉन रॉल्स (1921–2002) द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण

यह नवीनतम सिद्धांत है। लॉक, रूसो व कांट द्वारा समर्थित सामाजिक समझौता प्रणाली का प्रयोग रॉल्स भी करता है। इसलिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत को 'न्याय का सामाजिक समझौता' कहा जाता है। जहाँ सामाजिक समझौतावादियों ने समझौते का प्रयोग राज्य की उत्पत्ति व संप्रभुता को समझाने के लिए किया था। वहीं रॉल्स ने इसका प्रयोग न्याय के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए किया है।

रॉल्स के सामाजिक समझौते की अवधारणा कांट से ज्यादा प्रभावित है। रॉल्स ने स्वयं लिखा हैं– "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" का उद्देश्य न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करना रहा है, जो कि लॉक, रुसो तथा कांट में पाए जाने वाले सामाजिक समझौते के सुपरिचित सिद्धांत तक ले जाती है। रॉल्स के न्याय के सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणाएं है–

- **मूल स्थिति की अवधारणाः** यह अवधारणा लॉक की प्राकृतिक अवस्था के समतुल्य हैं। मूल स्थिति, प्राकृतिक अवस्था की तरह समझौते से पूर्व की काल्पनिक अवस्था है। इस मूल स्थिति में सब समान है, कोई छोटा–बड़ा नहीं है। यह मूल स्थिति एक काल्पनिक अवस्था है, ऐतिहासिक या वास्तविक

नहीं। मूल स्थिति में सभी समझौताकर्ता (विवेकशील वार्ताकार) समान स्थिति में है। वे अपनी स्वेच्छा व सहमति से समझौता करते है।

- **अज्ञान का पर्दा:** रॉल्स यह मानता है कि 'अज्ञान का पर्दा' की अवधारणा कांट के नैतिक सिद्धांत में अंतर्निहित है। मूल स्थिति में व्यक्ति विवेकी होते है और न्याय के सिद्धांतों की खोज वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष तरीके से करने के लिए 'अज्ञान के पर्दे' में रहते हैं। यह भी एक काल्पनिक स्थिति है। निष्पक्ष न्याय के लिए अज्ञानता का पर्दा आवश्यक है। इस अज्ञानता के कारण कोई भी विवेकशील वार्ताकार न तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है और ना ही किसी प्रकार की सौदेबाजी कर सकता है।

- **विवेकशील वार्ताकार:** रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है, वे विवेकशील वार्ताकार है जो न्याय के सिद्धांतों का पता लगाने के लिए आपसी सहमति से समझौता करते है। ये वार्ताकार विवेकशील व स्वार्थपरायण तो होते है परंतु ईर्ष्यालु व अहंवादी नहीं होते। रॉल्स का विवेकशील समझौताकार 'निष्पक्ष समझौताकार' है परन्तु यह हॉब्स के समझौताकार की तरह 'अहंवादी' नहीं है बल्कि वे न्याय की भावना से प्रेरित है।

- **विमर्शी समत्व:** रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति व न्याय के सिद्धांत स्थिर व स्थायी नहीं हैं, समयानुसार बदलते रहते है। अतरू इन दोनों के मध्य निरंतर चलने वाला एक संबंध है। मूल स्थिति व न्याय के सिद्धांतों के मध्य निरंतर विमर्श के द्वारा संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसे ही रॉल्स 'विमर्शी समत्व'का नाम देता है।

- **प्राथमिक वस्तुएं:** समाज में वस्तुओं व सेवाओं का वितरण ही न्याय की मुख्य समस्या है। रॉल्स इन सेवाओं व वस्तुओं को 'प्राथमिक वस्तुएं' कहता है। ये वस्तुएं दो प्रकार की होती है– 1. सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं तथा 2. प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं।

न्याय का सिद्धांत उचित समझौते का परिणाम है क्योंकि इसमें कोई भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांत नहीं बना सकता। इसलिए रॉल्स का न्याय 'उचितता के रूप में न्याय' कहलाता है। 'उचितता के रुप में न्याय' समझौता सिद्धांत का ही उदाहरण है।समझौता शब्द यह बताता है कि सभी व्यक्तियों की स्वैच्छिक सहमति के आधार पर ही प्राथमिक वस्तुओं व सेवाओं को समाज में बांटा गया है।

निष्कर्ष

सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य एक दैवीय नहीं वरन् मानवीय संस्था है और जन सहमति ही राज्य का आधार है, शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं।यह सिद्धांत शासी अधिकारियों की वैधता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसका तर्क है कि सरकार की शक्ति शासितों की सहमति से प्राप्त होती है और नागरिक स्वेच्छा से सुरक्षा और सामान्य भलाई के बदले में अपनी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं त्याग करते हैं।

यह सिद्धांत समाज के भीतर व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्थापित करने में मदद करता है। यह स्वतंत्रता की सीमाओं को परिभाषित करता है और ऐसे कानून और नियम बनाने में मदद करता है जो निष्पक्षता, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देते है।

यह सिद्धांत अपने नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक कल्याण की अवधारणा को भी छूता है। इसका तर्क है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें और सभी के लिए न्यूनतम स्तर की भलाई सुनिश्चित करें। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह भी बताता है कि यह समाज को प्राकृतिक स्थिति से एक समृद्ध समाज तक कैसे पहुंचा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. गाबा, ओमप्रकाश, राजनीतिक विचारक विश्वकोष, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2014
2. जैन, डॉ. पुखराज, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010
3. फड़िया, डॉ.बी.एल., प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक डिपो,जयपुर, 2012
4. शर्मा, डॉ. प्रभुदत्त, पाश्चात्य राजनितिक विचारों का इतिहास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1998
5. प्रसाद, सच्चिदानंद, कॉन्सेप्ट आफ गॉड इन द फिलोसॉफी आफ कांट, क्लासिकल पब्लिकेशन्स कंपनी, दिल्ली, 2005
6. मुखर्जी, सुब्रत एंड रामास्वामी, डॉ. सुशीला,ए हिस्ट्री आफ पॉलिटिकल थॉटः प्लेटो टू मार्क्स, पीएचआई लर्निंग प्रा.लि., दिल्ली, 2016
7. बेनीवाल,डॉ. लक्ष्मी नारायण, प्रमुख राजनीतिक चिंतक (पाश्चात्य व भारतीय), च्यवन प्रकाशन, जयपुर, 2021
8. शर्मा, चंद्रधर, पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 2009
9. www.wikipedia.org